


<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज</p>	<p>नम्बर अहक हुकम में</p>
<p>संजु Iny D/Iny</p>	<p>8/6/2022 पडावली मान पेअ डरी बादीगठा माधवमा एगबलाल गेहलोर मय बादीनी मजु उपर बादी गठा माधवमा मय बादीनी के उर्बान पडा-उर्बत कर काद चरखा ५॥२०२२ अंतया पुरजव अंत ५ लुम्बाराम व फलय धाय 53,88,89,88. P.A. अंतया नियम तिषी ॥१२॥२०२२ नियम वी जो आज पडावली तलव की जाकर निवेदन किया कि उर्बान व अजादी बादी व उर्बितानी के मध्य राजीनामा होने से बाद आगे नही चलाना चाहे है। अतः पडावली आज ही तलव फरमावे व पडावली विशाल फरमावे। खम्बकी चणव ही राक और उर्बान-पडा अन्वति धारा आदेश 23 नियम 1 (3) व 4 खण्डिध धारा 151 सी. पी. सी. का पेअ कर निवेदन किया कि उपरोक्त बाद में बावालिग पुरज, मुनेअ पुगगठा वशीलाल रण मजु पत्नी एवः वशीलाल बादीगठा पुरज, मुनेअ, कमलेअ बावालिग जरिमे मुदरनी बालिया माला मजु के उर्बान-पडा अनुसार निवेदन किया कि बादीगठा के उर्बितानीगठा के विशद उपरोक्त अनवान का बाद पेअ किया है। इसमें बादी व उर्बितानी के बीच पारिवारिक राजीनामा हो गया है। तथा बाद अरत म्बर नम्बर 140 का आधा भाग लुम्बाराम द्वारा केली को वेपान ठकराव किया गया है। जिसमें बादीगठा को उनके हिस्से की राशि का चैक दिया गया है। जोरीमाद बाद मुगगा होगा तथा उक्त राजीनामा में अर रक्की गर है। कि इकरा अनुसार रमोदा रूद होने पर उक्त चैक बापस लोतने की अर रक्की गर है। अगर पक्षकारन की बीमर में खोद आने पर चैक की राशि का मुगगा नही होगा है। तो बादीगठा उक्त बाद पुन लाने का अधिकार खुनसिअ रखने हुय विशेवल करना चाहे है। अतः उर्बान-पडा पेअ कर निवेदन किया कि तथा बाद लाने की अनुगरी के साथ बाद विशे कराने का आदेश उदात करके।</p>	<p>संजु Iny D/Iny</p>



हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामिल
में जारी हुए

बामामल्य इस वादीगण व वादी
आधिवक्ता के उर्ध्वना. पत्र पर आधिवक्ता
को सुना गया। वादीगण आधिवक्ता की
इसत दुभा अनुसार वादीगण के उर्ध्वना. पत्र
अन्तर्गत आदेश २३ नियम १.३ व ५ संपादन
धारा १५१ सी.पी.सी. का खबीकार किया जाकर
वादीगण आधिवक्ता को नया वाद लाने की
अनुमति उदान करते हुए भठ वाद विज्ञापन
किये जाने का आदेश उदान किया जाग है। वाद
वादीगण जरिये विज्ञापन खबरीन किया जागा है।
बिर्नाम खरे इजलस सुनाया गया। पगावली
फैसल सुमार लेकर नम्बर खे कम है।


सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)